



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब-साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2021/1067

दिनांक:- 29/9/2021

-:कार्यवाही विवरण:-

विषय:- भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 08/2021 वीं बैठक दिनांक 27.09.2021 को आयुक्त महोदय, जोधपुरा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-"1" पर है।

एजेण्डा संख्या 1 :- (27.09.2021)

विषय :- भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 06/2021 (उत्तर जोन) व 07/2021 (दक्षिण जोन) वीं बैठक दिनांक 12.08.2021 व 17.08.2021 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

निर्णय :- समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त गत बैठकों के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

एजेण्डा संख्या 2 :- (27.09.2021) जोन-उत्तर

विषय :- राजस्व ग्राम सुरपुरा के खसरा संख्या 343/4 (90 क निर्णय के पश्चात् JDA के नाम नवीन खसरा संख्या 343/5) रकबा 14-14-03 बीघा में से 11-09-07 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्री बाबुराम, श्री मानाराम, श्री गजाराम पुत्र श्री गोपाराम एवं श्री चिमाराम, श्री किशनाराम पुत्र श्री भीयाराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि में से प्रारूप जोनल डवलपमेंट प्लान की 60 फीट सड़क गुजरती है जिसका अंकन कर प्रार्थी से संशोधित मानचित्र प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही की जावें। साथ ही आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में स्थित कटाण मार्ग की चौड़ाई 40 फीट रखी जावें। सड़क मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोधपुरा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोधपुरा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावें।
2. आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में स्थित कटाण मार्ग के मध्य बिन्दु से आवेदित भूमि की दूरी बाबत टिप्पणी जोन स्तर से प्राप्त की जावें।
3. आवेदित भूमि से लगती हुई नाडी के साथ न्यूनतम 30 फीट वृक्षारोपण पट्टी का प्रावधान किया जावें।
4. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
5. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें।
6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 3 :- (27.09.2021) जोन-उत्तर

विषय :- राजस्व ग्राम बासनी लाछा के खसरा संख्या 109, 109/1 रकबा 09-19-00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :- श्री चम्पालाल पुत्र श्री गिरधारीलाल

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट्स अनुसार आवेदित भूमि को उपलब्ध 40 फीट पहुँच मार्ग की सुनिश्चितता की जावे। उक्त सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. आवेदित भूमि में से गुजर रही विद्युत लाईन के नीचे नियमानुसार सुरक्षात्मक दूरी का प्रावधान करते हुए मानचित्र जारी किए जावे।
3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 4 :- (27.09.2021) जोन-उत्तर

विषय :- राजस्व ग्राम बासनी लाछा के खसरा संख्या 109/5, 111, 111/1 रकबा 09-18-00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :- श्री नारायणराम पुत्र श्री देवाराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट्स अनुसार आवेदित भूमि को उपलब्ध 40 फीट पहुँच मार्ग की सुनिश्चितता की जावे। उक्त सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. आवेदित भूमि में से गुजर रही विद्युत लाईन के नीचे नियमानुसार सुरक्षात्मक दूरी का प्रावधान करते हुए मानचित्र जारी किए जावे।
3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 5 :- (27.09.2021) जोन-उत्तर

विषय :- राजस्व ग्राम दर्जजर के खसरा संख्या 4/1, 4/3 रकबा 05-18-00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्रीमती गायत्री व श्रीमती रेणु पुत्रियों श्री नन्दकिशोर

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में जमाबंदी से अधिक क्षेत्रफल की जोन व आयोजना शाखा स्तर से जांच कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 6 :- (27.09.2021) जोन-उत्तर

विषय :- राजस्व ग्राम मण्डोर द्वितीय के खसरा संख्या 649/2 रकबा 01-00-00 बीघा आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्रीमती लीला पत्नी श्री आनन्द रेलवानी जरिये आममुख्यार हर्ष भाटी पुत्र स्व. नरेन्द्र

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट्स अनुसार आवेदित भूमि को उपलब्ध 60 फीट पहुँच मार्ग की सुनिश्चितता की जाएँ। उक्त सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जाएँ एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जाएँ।
2. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जाएँ।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जाएँ कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जाएँ।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 7 :- (27.09.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम भाकरासनी के खसरा संख्या 70/1 रकबा 10.00.00 बीघा आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्री जगदीश गर्ग पुत्र श्री विरमराम गर्ग

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि के सामने 100 फीट सड़क मार्गाधिकार रखा जाएँ। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जाएँ एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जाएँ।
2. प्रस्तुत मानचित्र के भूखण्ड संख्या 57 से 61 के पश्चिम दिश में प्रस्तावित 40 फीट सड़क को प्रस्तावित पार्क के पूर्व दिशा में निरन्तर रखते हुए आवेदक से संशोधित मानचित्र प्राप्त किए जाएँ।
3. आवेदित भूमि के सड़क भाग से गुजर रही एच.टी लाईन की क्षमता व स्थिति बाबत रिपोर्ट प्राप्त की जाकर तदनुसार कार्यवाही की जाएँ।
4. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।

5. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें।
6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 8 :- (27.09.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम लूणी के खसरा संख्या 963/412 रकबा 15.00.00 बीघा के आवासीय योजना (मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधान 3 बी के तहत) प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्री सुरेन्द्र कुमार भंसाली पुत्र श्री मोहनलाल

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि लूणी-शिकारपुरा राज्य राजमार्ग पर स्थित है जिसका सड़क मार्गाधिकार 200 फीट रखा जावें। सड़क मार्गाधिकार उपरान्त 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी का प्रावधान किया जावें। साथ ही आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में स्थित मार्ग का मार्गाधिकार 60 फीट रखा जाकर आवेदक से संशोधित मानचित्र प्राप्त किया जावें। सड़क मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावें।
2. आवेदक से 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी तथा एल.आई.जी/ई.डब्ल्यू.एस के अनुपात का नियमानुसार प्रावधान करते हुए संशोधित मानचित्र प्राप्त किया जावें।
3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना के सभी प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावें।
4. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 9 :- (27.09.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम भाकसासनी के खसरा संख्या 171/1, 171/8, 176/2, 180/1 रकबा 28-02-13 बीघा मौका अनुसार 27-19-00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- मैसर्स आशापूर्णा बिल्डकॉन लि. मैनेजिंग डायरेक्टर श्री करणसिंह पुत्र श्री मोहनसिंह बहैसियत आम-मुख्यार श्री रतनाराम पुत्र श्री सांखलाराम, श्री गणेशाराम पुत्र श्री सवाजी

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि मुख्य जोधपुर-पाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है जिसका सड़क मार्गाधिकार 200 फीट रखा जावें। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से

- जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. प्रस्तुत ले-आउट प्लान में प्रार्थी द्वारा 24 मीटर चौड़ी सड़क प्रस्तावित की गयी है। साथ ही आवेदित भूमि जोनल डवलपमेंट प्लान प्रारूप की प्रस्तावित 24 मीटर से प्रभावित है। उक्त सड़क के आस पास स्थित भूखण्डों के पट्टा विलेख वर्तमान में जारी नहीं किए जावे। जोनल डवलपमेंट प्लान की प्रस्तावित 24 मीटर की सड़क के संबंध में अंतिम निर्णय लिए जाने के पश्चात् आवश्यकतानुसार ले-आउट प्लान में संशोधन किया जावे।
 3. मौका अनुसार तथा राजस्व रिकार्ड अनुसार क्षेत्रफल में अंतर के संबंध में जोन से टिप्पणी प्राप्त किए जाने के उपरान्त ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
 4. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
 5. आवेदित भूमि का क्षेत्रफल 2 है० से अधिक है अतः मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अनुसार नियमानुसार प्रावधान की सुनिश्चितता की जाकर मानचित्र जारी किए जावे।
 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
 7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 10 :- (27.09.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 471 रकबा 25-05-00 बीघा में से 07-05-00 बीघा आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

निर्णय :- आवेदक :- श्री ओमाराम, श्री मदनलाल व श्री हेमाराम पुत्र स्व. श्री भंवरलाल समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि के सामने 80 फीट सड़क मार्गाधिकार रखा जावे। ले-आउट प्लान में दर्शाये गये सड़क मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि में से गुजर रही एल.टी लाईन की क्षमता व स्थिति प्राप्त की जाकर तथा सुरक्षात्मक दूरी का अंकन करते हुए मानचित्र जारी किए जावे।
3. जमाबंदी से अधिक क्षेत्रफल की भूमि के स्वामित्व की जांच कर जोन स्तर से नियमानुसार राशि लिए जाने की कार्यवाही की जावे।
4. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
5. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे।
6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।

7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 11 :- (27.09.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 165/32, 165/33 रकबा 03-04-00 बीघा के आवासीय योजना (मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधान 3 बी के तहत) प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्री वेदिक होम्स प्रा. लि. जरिये डारेक्टर श्री लोकेश कुम्भट पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह कुम्भट

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि को पूर्व में प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित प्लान में से 30 फीट पहुंच मार्ग प्राप्त हो रहा है जिसकी सुनिश्चितता की जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना के सभी प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावे।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 12 :- (27.09.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम कुडी भगतासनी, सागरिया प्राधिकरण की अनुमोदित विवेक विहार योजना में निर्णय में ओ-1/100 में संशोधन कर ओ-2/100 को सम्मिलित करने बाबत।

आवेदक :- जे.डी.ए स्कीम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श समिति द्वारा उक्त प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।

आयुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई। उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


उप नगर नियोजक (प्रथम)

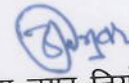
एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2021/1068-1072

दिनांक:- 29/9/2021

प्रतिलिपी :- निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. वरिष्ठ निजी सहायक, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. निदेशक (अभियांत्रिकी/आयोजना), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त (उत्तर/दक्षिण), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
5. एसीपी/एनआईसी शाखा को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।

 29/9/2021

उप नगर नियोजक (प्रथम)

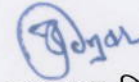
एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर

परिशिष्ट-“1”

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 08/2021 वीं बैठक दिनांक 27.09.2021 को आयुक्त महोदय, जोधपुरा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- | | |
|---|------------|
| 1. श्री कमर चौधरी, आयुक्त, जो.वि.प्रा., जोधपुर। | अध्यक्ष |
| 2. श्री हरभान मीणा, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 3. श्री राजेश वर्मा, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 4. श्री लाडूराम विश्णोई, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 5. श्री चंचल वर्मा, उपायुक्त (उत्तर) जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 6. श्री राजेन्द्र चांदावत, उपायुक्त (दक्षिण) जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 7. श्री अनुज अग्रवाल, उप नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य सचिव |

 29/9/2021

उप नगर नियोजक (प्रथम)

एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर